लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, **IAS.**

अपील सं. 09 / 2026
जीसीएमएस सं. 2026 / 28
ऑन लाईन अपील सं.218716262835629 / 2026

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्सः–
कृष्णा शर्मा निवासी सन्मति नगर, उदयपुर रोड, बांसवाडा	बनाम	**तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)**

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 25–03–2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑन लाईन आवेदन **218123012672117** दिनांक **22–01–2026** पर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)** द्वारा उपलब्ध नही करवाये जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **09–03–2026** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक **25–03–2026** को प्रत्यर्थी **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** ने जवाब प्रस्तुत कर अ[illegible]या कि अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना कार्यालय के [illegible] 2026 / 543 दिनांक 16.03. 2026 से उपलब्ध करवा दी गई है। अपील [illegible]स्त कराने का श्रम [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:15:31 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** के जवाब एव उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन **218123012672117** दिनांक **22–01–2026** से 2 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक भू.अ/ सु.अ/ 2026/ 543 दिनांक 16.03.2026 से अपीलार्थी को बिन्दु सं. 1 के सन्दर्भ में अनुपलब्धता जाहिर की है। बिन्दु सं. 2 के सन्दर्भ में यह अवगत कराया गया है कि वांछित "उक्त खसरा नंबर की प्रमाणित प्रतियों हेतु सम्बन्धित पटवारी से सम्पर्क करे।" यह कथन उचित नही है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को बिन्दु सं. 2 से वांछित सूचना रेकार्ड अनुसार उपलब्धता की स्थिति में सम्बन्धित पटवारी से प्राप्त कर 15 दिवस में नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **25–03–2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:15:31 IST
Reason: SelfAttested